यालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के0 आर0 खौड़, आर0ए0एस0

संख्या 252/ 2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

रामस्वरूप S/o छीतर गाडरी

निवासी अमरगढ़ — प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

देवकरण S/o हरदेव मालवीय

निवासी अमरगढ़ (मोलदो) — विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री लक्ष्मणलाल रेवाड़ी

अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय दिनांक 14/6/17

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम अमरगढ़ तहसील शाहपुरा/ ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर अमरगढ़

655 रकबा 0-70 है 661 रकबा 0-05 है

कुल किता 2 रकबा 0-75 हैक्टयर का प्रार्थी/~~प्रार्थीगण~~ खातेदार/~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/~~प्रार्थीगण~~ एवं ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/~~प्रार्थीगण~~ सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जनाबन्दी ग्राम अमरगढ़ संवत 2072 से 2076 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/~~प्रार्थीगण~~ खातेदार/~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/~~प्रार्थीगण~~ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अमरगढ़ मे स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/~~संयुक्त खाते~~दारी की आराजीयात किता 1 रकबा 0-70 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/6/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(के0आर खौड़)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा/ ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)